



[2026:RJ-JP:4433-DB]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

D.B. Criminal Appeal No. 736/2003

Krishan Murari S/o Madan Lal R/o Layaphal, Thana - Khanpur
Dist. Jhalawar (Raj.)

-----Appellant-Accused

Versus

The State of Rajasthan

-----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Rinesh Gupta with Mr. Sarwat Alam, Mr. Ashutosh Singh Naruka and Ms. Chandrakala Sahu
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Shekhawat, PP with Ms. Neha Goyal

**HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

Judgment

1.	Arguments Concluded On:	15/01/2026
2.	Judgment Reserved On:	15/01/2026
3.	Full Judgment/Operative Part Pronounced:	Full Judgment
4.	Pronounced On:	05/02/2026

PER HON'BLE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI, J.

अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) गंगापुर सिटी द्वारा सरकार बनाम कृष्ण मुरारी व अन्य सेशन प्रकरण संख्या 04/2003 में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 31.03.2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने



अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध में आजीवन कारावास व 5,000 /— रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है और अर्थदण्ड संदाय नहीं करने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।

इस प्रकरण में परिवादी गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) ने प्रदर्श पी-2 लिखित रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवायी कि वह मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी का मैनेजर है। धर्मशाला में दिनांक 08.03.2002 को दो यात्री आये, जिन्होंने पेंटर का काम करना बताया और उनके कहने पर उसने रुकने के लिए कमरा नंबर 32 दे दिया। यात्रियों में से एक ने अपना नाम मुरारी नागर केशवपुरा कोटा बताया, जिस पर उसने धर्मशाला के रजिस्टर में इंद्राज कर दिया। वे रोजाना सुबह काम पर जाते थे और शाम धर्मशाला में आ जाते थे। वे दिनांक 10.03.2002 को शाम को अंतिम बार धर्मशाला आये और दिनांक 11.03.2002 को सुबह कमरे पर ताला लगा हुआ मिला। उसके बाद धर्मशाला पर नहीं आये। जब दिनांक 13.03.2002 को करीबन 3 बजे गिराज प्रसाद कमरा नंबर 32 के सामने से होकर गुजरा, तब एकदम बदबू व मक्खियां भिनभिनाती हुई मिली। ऐसे लगा कि कमरे में से बदबू आयी। अतः कमरे का ताला खोलकर बदबू की जांच कर कार्यवाही की जावे।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंगापुर सिटी द्वारा प्रदर्श पी-31 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 164/2002 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता विकल्प में धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया, जिसे अपीलार्थी/अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अन्वीक्षा के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्तानुसार आलोच्य निर्णय और दण्डादेश



दिनांक 31.03.2003 पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि इस प्रकरण में बिना किसी साक्ष्य के व बिना किसी युक्तियुक्त आधार के विद्वान विचारण न्यायालय ने संदेह के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किया है। घटना की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.03.2002 को मीना धर्मशाला, गंगापुर सिटी में बदबू आने पर घटना कारित होने का पता चला। घटना की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.03.2002 को शाम को कमरा नंबर 32 पर रहने वाले यात्रियों के आने के बाद किसी ने भी अपीलार्थी/अभियुक्त को या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देखा। घटना कारित होने से तुरंत पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त को गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) ने या अन्य किसी साक्षी ने देखा हो, इसे अभियोजन पक्ष की ओर से साबित नहीं किया गया है। लास्ट सीन थ्योरी के अभाव में अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित नहीं किया जा सकता है। धर्मशाला में रुकने वाला व्यक्ति अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी ही था, इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं करवायी गयी है। रजिस्टर के क्रम संख्या 11 पर सी से डी अपीलार्थी/अभियुक्त के ही हस्ताक्षर हों, इसे भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के माध्यम से साबित नहीं किया गया है, ना ही इस संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त के हस्तलेख के नमूने पुलिस द्वारा लिये गये हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ धर्मशाला में ठहरने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षित नहीं करवाया गया है। धर्मशाला के कमरा नंबर 32 का ताला अपीलार्थी की उपस्थिति में नहीं तोड़ा गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त से पुलिस



ने स्कूटर बरामद करना बताया है, इस संबंध में स्वतंत्र साक्षी पी.डब्ल्यू-6 महन्त गोपाल दास व पी.डब्ल्यू-7 मुन्नालाल अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से कपड़े और कुल्हाड़ी बरामद किया जाना बताया है। इनकी फर्द जब्ती से संबंधित स्वतंत्र साक्षी पी.डब्ल्यू-9 कलुवा गुर्जर व पी.डब्ल्यू-16 मोहम्मद साबिर अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कपड़े व कुल्हाड़ी बरामद हुए हैं। पी.डब्ल्यू-12 डॉ. सत्यनारायण शर्मा ने मृतक की मृत्यु का कारण हृदय गति व सांस गति रुकने के कारण होना बताया है, जो गला दबाने या चोट से या किसी चोट से जो दिखायी नहीं दे, से होना बताया है। मृतक की गला दबाकर हत्या कारित की गयी हो या उसके कोई चोट अपीलार्थी/अभियुक्त ने कारित की हो, इस प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक प्रेमचंद की दुश्मनी के कारण हत्या कारित की हो या उनकी पूर्व में कोई दुश्मनी रही हो, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष की ओर से साबित नहीं किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-35) में जिन सामानों पर ए-ग्रुप का मानव रक्त होना बताया गया है, वह मानव रक्त मृतक प्रेमचंद का हो, इसे अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में अपराध कारित होने या नहीं होने के संबंध में साबित करने का भार (Burden of Proof) अभियुक्त पर नहीं डाला जा सकता है। प्रदर्श पी-3 हालात नक्शामौका पर एक तरफ तो अनुसंधान अधिकारी ने कमरे में काफी खून व पानी भरा होना बताया है, दूसरी तरफ नक्शामौका में नोट में यह अंकित किया



है कि मौके पर किसी प्रकार के पदचिन्ह और खून नजर नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है, जिसे नजरअंदाज करके विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी न्यायसंगत उचित आधार के अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित करने में विधिक भूल व त्रुटि की है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार कर उसे दोषसिद्ध अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

अपलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विनिश्चय प्रस्तुत किये:-

1. Ravi Vs State of Punjab; [(2025) 3 SCC 584]
2. Babu Lal & Another Vs State of Rajasthan; D.B. Criminal Appeal No. 365/2001; Judgment Dated 06.08.2025

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अपीलार्थी/अभियुक्त मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी में मृतक प्रेमचंद के साथ कमरा लेने के लिए गया था और धर्मशाला के मैनेजर गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) ने रजिस्टर के क्रम संख्या 11 पर इंड्राज किया व उस रजिस्टर के सी से डी भाग पर अपीलार्थी/अभियुक्त मुरारी लाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ दिनांक 08.03.2002 को कमरा लेते समय मृतक भी आया था। इस तथ्य को भी गिराज (पी.डब्ल्यू-1) ने अपने बयानों में बताया है। गिराज (पी.डब्ल्यू-1) ने अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त को देखकर कहा है कि यही कृष्ण मुरारी था। ऐसी स्थिति में यदि पुलिस द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्तागी नहीं भी करवायी गयी है, तो उससे अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक प्रेमचंद एक-दूसरे को जानते थे, पूर्व परिचित थे



व एक साथ पेंट का कार्य करते थे। मृतक प्रेमचंद कोटा में प्रेम सेंटर के नाम से दुकान चलाता था, इस तथ्य को देवलाल (पी.डब्ल्यू-18) जो कि मृतक प्रेमचंद का पिता है, उसने अपने बयान में बताया है। देव लाल (पी.डब्ल्यू-18) ने अपने बयानों में यह भी बताया है कि दिनांक 04.03.2002 को कृष्ण मुरारी मेरे लड़के प्रेम के पास आया और यह बताया कि पेंटिंग का काम मिला है। जे.के. सीमेंट की पेंटिंग करने सवाई माधोपुर जे.के. सीमेंट के डीलर के यहां चलना है। दिनांक 05.03.2002 को कृष्ण मुरारी व उसका लड़का प्रेम 9-10 बजे के करीब घर से निकल गये। उसके बाद उसकी हत्या हो गयी। कल्याण प्रसाद गोयल (पी.डब्ल्यू-4) ने भी जो कि जे.के. सीमेंट का सब डीलर है, उसने भी दो आदमियों के आने और अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उससे 200/- रुपये उधार लेने और वापस नहीं लौटाने की बात कही है। नन्दलाल (पी.डब्ल्यू-19) ने अपने बयानों में यह बताया है कि दिनांक 04.03.2002 को अपीलार्थी/अभियुक्त उसके घर पर आया और सवाईमाधोपुर चलने के लिए कहा और दूसरे दिन 4-5 बजे वे कोटा से रवाना हो गये। अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक में पैसों के लेन-देन का मामला था तथा मृतक अपीलार्थी/अभियुक्त से काफी समय से पैसे मांगता था, जो वह नहीं दे रहा था। इस कारण से अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक की हत्या की। इस तथ्य को मृतक के पिता देवलाल (पी.डब्ल्यू-18) ने अपने बयानों में बताया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया स्कूटर साबित नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया हो। अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कुल्हाड़ी, पेंट व शर्ट मिले हैं, जिन पर मानव रक्त पाया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने धर्मशाला में दिनांक 08.03.2002 को कमरा लिया, उसके पश्चात उसने धर्मशाला के मैनेजर को कमरे की चाबी नहीं दी, ना ही इस प्रकार की कोई सूचना दी कि कमरे में बदबू आ रही है, वरन् अपीलार्थी/अभियुक्त गायब हो गया। इससे पूर्णतः



संदेह जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त का धर्मशाला में वापस नहीं आना, धर्मशाला के कमरे की चाबी नहीं देना, धर्मशाला में कोई अपराध कारित होने की सूचना नहीं देना, यह संदेह उत्पन्न करते हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक की हत्या कारित की है। मृतक भी अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ धर्मशाला में एक ही कमरे में रुका था, यह तथ्य भी प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है। मृतक की लाश सड़ चुकी थी, इसलिए उसकी मृत्यु का निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता, इस तथ्य को डॉ. शिव सिंह मीणा (पी.डब्ल्यू-14) ने अपने बयानों में बताया है। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें दीवारों पर भी पेंट से कृष्ण मुरारी का नाम, जे.के. सीमेंट का उल्लेख किया गया है। इस तथ्य का अंकन भी फर्द हालात मौका (प्रदर्श पी-3) में किया गया है। इस स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक से रुपये ले रखे थे और वह रुपये वापस नहीं दे रहा था, इसी दुश्मनी व झगड़े के कारण अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक की हत्या कारित की। विद्वान विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से साक्ष्य का सही विवेचन कर अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किया है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी में कमरा नंबर 32 में प्रेमचंद (जिस आगे 'मृतक' कहा जाएगा) की लाश मिली थी। गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) जिसने प्रदर्श पी-2 घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, उसने घटना की रिपोर्ट में यह कथन किया है कि दिनांक 08.03.2002 को दो यात्री आये थे और उनको उसने कमरा नंबर 32 दिया था तथा उन्होंने पेंटर का काम करना बताया था। उनमें से एक ने अपना नाम मुरारी नागर केशवपुरा, कोटा बताया था, जिसका धर्मशाला के रजिस्टर में



इंद्राज कर दिया था। वे सुबह काम पर जाते थे और रोजाना शाम को आ जाते थे। दिनांक 10.03.2002 को शाम को आये और दिनांक 11.03.2002 को कमरे का ताला लगा मिला, उसके बाद वे धर्मशाला पर नहीं आये। दिनांक 13.03.2002 को करीब 3 बजे गिराज प्रसाद कमरा नंबर 32 के सामने से गुजरा तो उसे बदबू और मक्खियां भिनभिनाती हुई नजर आयीं। उस पर पुलिस को सूचना देने पर कमरा नंबर 32 का ताला तोड़कर देखा गया तो मृतक की लाश मिली। घटना के तथ्यों के अनुसार मृतक की हत्या कारित करते हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस संबंध में यहां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विनिश्चय **Sharad Birdichand Sarda Vs State of Maharashtra [(1984) 4 SCC 116]** का सुसंगत भाग यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा:—

"152. It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as show that within all human probability the act must have been done by the accused".

153. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned "must or should and not "may be" established. There is not only a grammatical but a legal distinction between "may be proved" and "must be or should be proved" as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade v. State of Maharashtra [(1973) 2 SCC 793:1973 SCC (Cri) 1033:1973 CrL LJ 1783] where the observations were made: [SCC para 19, p. 807. SCC (Cri) p. 1047] "Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency

4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही दिनांक 10.03.2002 से 13.03.2002 के मध्य किसी भी समय मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी में सामान्य आशय की पूर्ति में मृतक प्रेमचंद उर्फ मक्कू के उपहति कारित कर उसकी हत्या कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में मृतक की हत्या कारित



किये जाते समय किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष को तथ्यों और घटना की श्रृंखला के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या कारित करना साबित किया जाना आवश्यक है।

वस्तुतः अपीलार्थी/अभियुक्त मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी में आया और दिनांक 08.03.2002 को कमरा लिया, इस संबंध में गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 08.03.2002 को एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम मुरारी लाल नागर कोटा का रहने वाला बताया और अपने आपको पेंटर बताया, उसे कमरा दिया था और ठहरने का इंद्राज धर्मशाला के रजिस्टर प्रदर्श पी-1 के क्रम संख्या 11 पर करके उसको कमरा नंबर 32 दिया और 50/- रुपये एडवांस जमा कराये थे। इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि गिराज प्रसाद अपीलार्थी/अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.01.2003 को पी.डब्ल्यू-1 गिराज प्रसाद के बयान लेखबद्ध करते समय नोट में साक्षी के बारे में यह अंकित किया है कि “गवाह ने काफी देर देखने के पश्चात मुलजिम को पहचाना।” प्रदर्श पी-1 रजिस्टर के क्रम संख्या 11 पर सी से डी अपीलार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर होना इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया है, लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में कहा है कि “मैं धर्मशाला में नहीं ठहरा। मेरे नाम से कोई और व्यक्ति धर्मशाला में ठहरा होगा। मैं कभी गंगापुर सिटी नहीं गया तथा ना ही देवेन्द्र कुमार ने मुझे गंगापुर का कोई ठेका दिया, न ही मृतक प्रेमचंद मेरे साथ आया न ही मैं मृतक के साथ कभी गंगापुर आया।”

इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में घटना घटित होने वाले स्थान कमरा नंबर 32 में व धर्मशाला में मृतक के साथ आना नहीं बताया है और ना ही गंगापुर आना बताया है। वस्तुतः अपीलार्थी/अभियुक्त ही मीना धर्मशाला में दिनांक 08.03.2002 को



आया हो और उसने कमरा नंबर 32 दिया हो, इन तथ्यों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मीना धर्मशाला के मैनेजर गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रदर्श पी-1 रजिस्टर पर सी से डी हस्ताक्षर अपीलार्थी/अभियुक्त के हों, इन तथ्यों को भी अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी/अभियुक्त के हस्तलेख नमूना लेकर उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) से जांच करवाकर यह साबित नहीं किया है कि प्रदर्श पी-1 रजिस्टर पर सी से डी हस्ताक्षर अपीलार्थी/अभियुक्त के ही हैं और दिनांक 08.03.2002 को अपीलार्थी/अभियुक्त ने ही कमरा नंबर 32 लिया हो। अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ मृतक दिनांक 08.03.2002 को गंगापुर सिटी में धर्मशाला में आया हो, इस तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने साक्षी गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया है। रजिस्टर प्रदर्श पी-1 पर मृतक प्रेमचंद के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त व उसके साथ मृतक भी कमरा नंबर 32 में रुका हो।

यद्यपि साक्षी गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि जिस व्यक्ति की लाश मिली, वह दिनांक 08.03.2002 को कमरा लेते समय मुरारी नागर के साथ आया था, लेकिन इस तथ्य की पुष्टि में मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी के अन्य कर्मचारियों के बयान करवाकर अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है। प्रदर्श पी-1 रजिस्टर पर मृतक के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) के बयान का विश्वास करें तो यह स्पष्ट होता है कि उसने दोनों यात्रियों, जो उसकी धर्मशाला में आये थे, उनको अंतिम बार दिनांक 10.03.2002 को शाम को वापस काम से धर्मशाला में आते देखा था। उसके बाद उसने उन्हें धर्मशाला में नहीं देखा। कमरा नंबर 32 में मृतक की लाश की सूचना दिनांक



13.03.2002 को मिली थी। दिनांक 10.03.2002 की शाम से दिनांक 13.03.2002 की दोपहर तक अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक को किसी ने भी नहीं देखा। दिनांक 10.03.2002 के शाम के पश्चात दिनांक 13.03.2002 को दोपहर 3 बजे तक कौनसे दिन व समय में मृतक की मृत्यु हुई, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से साबित करने में असफल रहा है।

केवल अंतिम बार अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक को देखे जाने वाले सिद्धांत को दृष्टिगत करें तो यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 10.03.2002 को शाम के पश्चात किसी भी व्यक्ति ने यहां तक कि गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) ने भी अपीलार्थी/अभियुक्त और मृतक को साथ में नहीं देखा है। दिनांक 10.03.2002 को सांयकाल के पश्चात मृतक अन्य किसी व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं आया हो, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

इस प्रकरण में पी.डब्ल्यू-22 अन्वेषण अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने दिनांक 05.10.2002 को सहअभियुक्त मनोज की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना (प्रदर्श पी-34) के आधार पर मीना धर्मशाला की दूसरी मंजिल पर चढ़कर कमरा नंबर 42 में प्रवेश करके दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान की पटरी पर से जरिये प्रदर्श पी-5 चाबी, ताला, लोहे सहअभियुक्त मनोज के कब्जे से बरामद किया और बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-6 बनाया। पी.डब्ल्यू-22 अन्वेषण अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपीलार्थी/अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना (प्रदर्श पी-32) के आधार पर अपीलार्थी के कब्जे से घटना के समय जो पेंट, शर्ट पहन रखे थे व कुल्हाड़ी तथा सहअभियुक्त मनोज के घटना के समय पहने हुए कपड़े, जो अपीलार्थी/अभियुक्त ने एक पोटली बनाकर नादौती रोड़ के सैनिक नगर में गंदे नाले में गाड़कर छिपाये थे, उन्हें जरिये प्रदर्श पी-16 बरामद किया है। अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू-22 ने सहअभियुक्त मनोज को घटना में शामिल मानकर उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन विद्वान विचारण



न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 31.03.2003 में सहअभियुक्त मनोज का मृतक की हत्या कारित करने में कोई उद्देश्य या हैतुक नहीं मानकर व मनोज से की गयी बरामदगी संदिग्ध मानकर व बरामद की गयी चाबी से ताला खुलता या बंद होता है, इसकी पुष्टि होना नहीं मानकर विभिन्न आधारों पर उसे आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। अन्वेषण अधिकारी ने प्रारम्भिक रूप से सहअभियुक्त मनोज को घटना में शामिल होना बताया है, लेकिन पी.डब्ल्यू-1 गिराज प्रसाद के बयान से यह तथ्य कहीं सामने नहीं आया है कि सहअभियुक्त मनोज भी उसकी धर्मशाला में आया हो, जबकि उसने कथन किया है कि उसने मनोज को पहली बार उस समय देखा, जब पुलिस उसे लेकर आयी थी। दिनांक 10.03.2002 की शाम से दिनांक 13.03.2002 को मृतक की हत्या कारित होने के बीच में मृतक सहअभियुक्त मनोज के साथ या अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ रहा हो, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू-1 गिराज प्रसाद ने दिनांक 10.03.2002 को शाम को अंतिम बार अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक को देखना बताया है। दिनांक 10.03.2002 को शाम से दिनांक 13.03.2002 को दोपहर 3 बजे तक अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक साथ रहे हों, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) द्वारा मृतक व अपीलार्थी/अभियुक्त को अंतिम बार दिनांक 10.03.2002 को देखे जाने के पश्चात व उसके तीन दिन बाद लाश के मिलने से यह युक्तियुक्त रूप से संदेह उत्पन्न होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने ही मृतक की हत्या कारित की हो। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **Bodhraj Vs State of J&K [(2002) 8 SCC 45]** के सुसंगत भाग को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा:—

"31. The last seen theory comes into play where the time gap between the point of time when the accused and the deceased were seen last alive and when the deceased

is found dead is so small that possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible It would be difficult in some cases to positively establish that the deceased was last seen with the accused when there is a long gap and possibility of other persons coming in between exists. In the absence of any other positive evidence to conclude that the accused and the deceased were last seen together, it would be hazardous to come to a conclusion of guilt in hose cases."

प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय अपीलार्थी/अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था तथा जिस समय मृतक का शव बरामद हुआ, उसके मध्य का समय अंतराल छोटा नहीं कहा जा सकता। मृतक और अपीलार्थी/अभियुक्त को अंतिम बार साथ देखे जाने तथा शव की बरामदगी के बीच के समय अंतराल को, साथ ही जिस स्थान एवं जिन परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अपीलार्थी/अभियुक्त एवं मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने के संबंध में ठोस एवं निश्चित साक्ष्य के अभाव में तथा जब समय अंतराल लंबा हो, यह निष्कर्ष निकालना कि अपीलार्थी/अभियुक्त ही मृतक की हत्या के लिए उत्तरदायी है और उसने हत्या का अपराध किया है, सही नहीं माना जा सकता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय **Nizam & Anr Vs State of Rajasthan [(2016 1 SCC (CRI) 386]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:—

"16. In the light of the above, it is to be seen whether in the facts and circumstances of this case, whether the courts below were right in invoking the "last seen

theory" From the evidence discussed above, deceased-Manoj allegedly left in the truck DL-IGA-5943 on 23.01.2001. The body of deceased-Manoj was recovered on 26.01.2001. The prosecution has contended the accused persons were last seen with the deceased but the accused have not offered any plausible, cogent explanation as to what has happened to Manoj. Be it noted, that only if the prosecution has succeeded in proving the facts by definite evidence that the deceased was last seen alive in the company of the accused, a reasonable inference could be drawn against the accused and then only onus can be shifted on the accused under Section 106 of the Evidence Act".

गवाह पी.डब्ल्यू-1 गिराज प्रसाद ने बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने 10.03.2002 को शाम को दोनों यात्रियों को धर्मशाला में आते देखा था। अभियोजन पक्ष यह कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाया है कि मृतक को दिनांक 10.03.2002 सांयकाल से 13.03.2002 तक अभियुक्त के साथ जीवित अवस्था में देखा गया हो। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत प्रमाण का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

पी.डब्ल्यू-1 गिराज प्रसाद के इस बयान की पुष्टि कि उसकी धर्मशाला में अपीलार्थी/अभियुक्त और मृतक रुके थे, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अन्य साक्षीगण के बयान और प्रदर्शित दस्तावेजात से नहीं होती है। फिर भी यदि गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) के बयानों पर विश्वास करें और यह मानें कि मीना धर्मशाला के कमरा नंबर 32 में अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक ही रुके थे और अपीलार्थी/अभियुक्त ने ही मृतक की हत्या कारित की होगी, तो भी इस संदेह के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गिराज प्रसाद (पी.डब्ल्यू-1) के अनुसार उसने अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक को अंतिम बार दिनांक 10.03.2002 को शाम को देखा था। दिनांक



10.03.2002 की शाम से दिनांक 13.03.2002 को दोपहर के मध्य मृतक कहाँ रहा, किसके साथ रहा, किन परिस्थितियों में रहा, घटना के इस क्रम को अभियोजन पक्ष मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं कर पाया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **Ravishankar Tandon Vs State of Chattisgarh; Criminal Appeal No. 3869/2023; Order Dated 10.04.2024** के सुसंगत भाग को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा:—

"10. It is settled law that suspicion, however strong it may be, cannot take the place of proof beyond reasonable doubt. An accused cannot be convicted on the ground of suspicion, no matter how strong it is. An accused is presumed to be innocent unless proved guilty beyond a reasonable doubt".

उक्त विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, जब तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य कड़ी से कड़ी जोड़कर यह साबित नहीं करते हों कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने ही तथाकथित अपराध कारित किया है।

हत्या के अपराध को साबित करने के लिए अपराध कारित करने का हेतुक (Motive) अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान प्रकरण में जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या कारित किये जाने के हेतुक का प्रश्न है, तो मृतक के पिता पी.डब्ल्यू-18 देवलाल इस प्रकरण में परीक्षित हुए हैं, जिनके बयान के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी व उसका बेटा प्रेमचंद उर्फ मक्कू पेंटिंग का काम करते थे और उनकी आपस में अच्छी जान-पहचान थी और अपीलार्थी/अभियुक्त का उसके घर पर काफी आना-जाना था और उनके बीच में अच्छे संबंध थे। मृतक के पिता ने अपने



बयान की प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके बेटे प्रेमचंद व कृष्ण मुरारी के बीच में पहले से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसका पुत्र कृष्ण मुरारी से काफी समय से पैसे मांगता था, जो दे नहीं रहा था। इस चक्कर में वह फंसाकर लाया था। मृतक अपीलार्थी/अभियुक्त से कितने पैसे मांगता था, मृतक ने अपीलार्थी/अभियुक्त को कितने पैसे कब दिये, किस उद्देश्य से दिये, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकरण में मृतक के चाचा पी.डब्ल्यू-19 नंदलाल और पी.डब्ल्यू-20 कालूराम परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने बयानों की प्रतिपरीक्षा में मृतक और अपीलार्थी के बीच किसी प्रकार की कोई रंजिश होने का तथ्य नहीं कहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अन्य साक्षीगण ने भी अपने बयानों में यह नहीं कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक के बीच में कोई रंजिश थी और उस रंजिश के कारण ही अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक की हत्या कारित की हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या कारित करने का कोई हैतुक (Motive) इस प्रकरण में साबित नहीं होता है।

मृतक के पिता पी.डब्ल्यू-18 देवलाल, मृतक के चाचा पी.डब्ल्यू-19 नंदलाल व पी.डब्ल्यू-20 कालूराम द्वारा मृतक का अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ दिनांक 05.03.2002 को घर से जाना बताया है। मृतक और अभियुक्त पी.डब्ल्यू-18 देवलाल के घर से कब सवाईमाधोपुर आये और कब गंगापुर गये, इस संबंध में पी.डब्ल्यू-18 देवलाल को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 05.03.2002 से दिनांक 08.03.2002 तक अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक सवाईमाधोपुर में या गंगापुर सिटी में साथ रहे या नहीं रहे, या कहां रहे, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

पी.डब्ल्यू-23 देवेन्द्र कुमार अपने बयानों में यह कथन करता है कि चित्तौड़गढ़ से अशोका एडवर्टाईजिंग सर्विस कंपनी से जे.के. सीमेंट के



विज्ञापन का ठेका फरवरी, 2002 में मिला था और सवाईमाधोपुर जिले के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी को पेंटिंग का काम दिया था और 5,000/— रुपये देकर उसे कोटा से रवाना कर दिया। पहले ये सवाईमाधोपुर डीलर के पास गये और डीलर ने उन्हें गंगापुर के डीलर के नाम दिये। पी.डब्ल्यू-23 देवेन्द्र कुमार ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि उसने अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी को सवाईमाधोपुर कौनसे डीलर के पास भेजा और सवाईमाधोपुर के कौनसे डीलर ने अपीलार्थी/अभियुक्त को गंगापुर डीलर के पास भेजा। पी.डब्ल्यू-23 देवेन्द्र कुमार के बयान से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जब उसने अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 05.03.2002 को 5,000/— रुपये देकर कोटा से सवाईमाधोपुर के लिए रवाना किया, तब मृतक भी उसके साथ हो। उसकी प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसे अशोका एडवर्टाइजिंग सर्विस से जे.के. सीमेंट के विज्ञापन का ठेका मिला हो और उसकी कोई लिखापढ़ी करके अपीलार्थी/अभियुक्त को 5,000/— रुपये दिये हों, क्योंकि इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस साक्षी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है।

पी.डब्ल्यू-4 कल्याण प्रसाद गोयल, जो जे.के. सीमेंट का सब-डीलर है, जिसकी जिनेश अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी सवाईमाधोपुर के पास है, वह अपने बयानों की मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसने उन दोनों को सुरेश चंद और हरिमोहन के पास भिजवा दिया। दो आदमी कौन थे, उनके नाम पी.डब्ल्यू-4 कल्याण प्रसाद गोयल ने अपने बयान में नहीं बताये हैं। सुरेश चंद और हरिमोहन अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं करवाये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक को पेंटिंग का काम करने के लिए पी.डब्ल्यू-4 कल्याण प्रसाद गोयल ने सुरेश चंद व हरिमोहन के पास भेजा हो। पी.डब्ल्यू-4 कल्याण प्रसाद गोयल ने अपने बयान



में अंदाजे से अभियुक्त के बारे में यह बताया है कि यह वह व्यक्ति हो सकता है, जिसे मैंने भेजा हो या 200/- रुपये उधार दिये हों।

पी.डब्ल्यू-10 मोहन सिंह ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक जे.के. सीमेंट के विज्ञापन लिखने वाले उसकी दुकान पर आये हों। यह साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक पेंटिंग का काम करने के लिए कोटा से सवाईमाधोपुर और सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी आये हों और गंगापुर सिटी में मीना धर्मशाला में दिनांक 08.03.2002 को रुके हों। दिनांक 05.03.2002 से दिनांक 08.03.2002 तक अपीलार्थी/अभियुक्त व मृतक कहां रहे, कहां काम किया, साथ रहे या नहीं रहे, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा जो अन्य साक्षी परीक्षित करवाये गये हैं और जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं, उनके अवलोकन से भी अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू-22 राजेन्द्र सिंह ने पी.डब्ल्यू-9 कलुवा गुर्जर व पी.डब्ल्यू-16 मोहम्मद साबिर की उपस्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना (प्रदर्श पी-32) के आधार पर जरिये प्रदर्श पी-16 फर्द बरामदगी नादौती रोड़, सैनिक नगर में बांयी तरफ खुले भूखण्ड के सामने बह रहे गंदे नाले में गाड़ी हुई कपड़े की पोटली जब्त की, जिसमें एक पेंट काले रंग की, जिसमें खून के धब्बे थे, एक शर्ट सफेद खड़ी धारी की, जिसमें भी खून के धब्बे थे, एक पेंट और एक शर्ट पूरी आस्तीन की सफेद रंग की जिसमें भी खून के धब्बे लगे हुए थे और एक कुल्हाड़ी, जिसमें मिट्टी खून लगा हुआ था, को जब्त किया। उक्त प्रदर्श पी-16 फर्द बरामदगी से संबंधित स्वतंत्र साक्षी पी.डब्ल्यू-9 कलुवा



गुर्जर व पी.डब्ल्यू-16 मो. साबिर अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और वे अपने बयानों में यह कथन करते हैं कि पुलिस ने कोई सामान उनके सामने अपीलार्थी/अभियुक्त से बरामद नहीं किया और खाली कागजों पर दस्तखत करवा लिये थे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त से की गयी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-16 संदेहास्पद है।

इसके अतिरिक्त यदि प्रदर्श पी-16 फर्द बरामदगी पर विश्वास भी करें तो अभियोजन पक्ष ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की ऐसी कोई रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं करवाया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से जो पेंट, शर्ट व कुल्हाड़ी बरामद हुई, उन पर जो खून के निशान लगे हुए थे, वे खून के निशान मृतक प्रेमचंद के ही थे। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी-16 फर्द बरामदगी के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त से जब्त कपड़े व कुल्हाड़ी से भी यह साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतक की हत्या कारित की हो। अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू-22 ने अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कुल्हाड़ी बरामद की है। कुल्हाड़ी की कोई भी चोट मृतक के आयी हो और उससे मृतक की मृत्यु कारित हुई हो, इस तथ्य की पुष्टि पी.डब्ल्यू-12 डॉ. सत्यनारायण और पी.डब्ल्यू-14 डॉ. शिव सिंह के बयान और प्रदर्श पी-25 पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं होती है। पी.डब्ल्यू-12 डॉ. सत्यनारायण व पी.डब्ल्यू-14 डॉ. शिव सिंह चौहान के बयानों के अनुसार मृतक की मृत्यु हृदय व श्वास गति रुकने के कारण हुई थी। कुल्हाड़ी के धारदार भाग से या कुन्द भाग से मृतक के कोई चोट आयी हो और उससे मृतक की मृत्यु कारित हुई हो, इस तथ्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से नहीं होती है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन कहानी पर युक्तियुक्त रूप से संदेह उत्पन्न होता है। पी.डब्ल्यू-21 कैलाश भगवती, जो वरवक्त घटना गंगापुर में थानाधिकारी के पद पर था, जिसने



प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती दिनांक 14.03.2002 को बनायी और मृतक से एक शर्ट, काली पेंट व एक घड़ी जब्त की। प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त सामग्री को सील मोहर कर फर्द पर मार्का-सी लगाया गया। पी.डब्ल्यू-21 कैलाश भगवती प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती में अंकित तथ्यों से विपरीत कथन अपने बयान की मुख्य परीक्षा में करता है। प्रदर्श पी-13 के आधार पर दिनांक 14.03.2002 को मृतक से जब्त सामग्री को सील मोहर कर दिया गया था, जबकि पी.डब्ल्यू-21 कैलाश भगवती ने अपने बयान में यह कथन किया है कि उसने दिनांक 14.03.2002 को सील मोहर नहीं किये थे, क्योंकि उनमें बदबू थी और बर्फ पर लेटाने के कारण गीले हो गये थे। उक्त गवाह दिनांक 15.03.2002 को उक्त सामग्री सील मोहर करने का कथन करता है, जबकि प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती के अनुसार दिनांक 14.03.2002 को मृतक से जब्त की गयी सामग्री सील कर दी गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती भी संदेहास्पद है।

इस प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी-3 नक्शामौका व घटनास्थल हालात मौका बनाया गया है, उसमें जहां एक तरफ कमरा नंबर 32 घटनास्थल पर काफी खून व पानी फैला होना बताया है, वहीं उक्त प्रदर्श पी-3 नक्शामौका में जो नोट डाला है, उसमें मौके पर किसी प्रकार का खून नजर नहीं आना बताया है। ऐसी स्थिति में अन्वेषण अधिकारी ने एक तरफ तो प्रदर्श पी-3 हालात घटनास्थल में मौके पर खून बताया है, वहीं दूसरी तरफ इस तथ्य से इन्कार किया है और इस तथ्य का कोई भी स्पष्टीकरण अन्वेषण अधिकारी ने अपने बयानों में नहीं दिया है। प्रदर्श पी-4 घटना का विवरण प्रदर्शित हुआ है, जिसमें मृतक की लाश के बदन पर कोई जाहिरा चोट आना नहीं बताया गया है। अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से या अन्य किसी हथियार से मृतक की हत्या कारित की हो, ऐसी भी कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य को श्रृंखलाबद्ध रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।



इस प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त की सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने जरिये प्रदर्श पी-14 स्कूटर जब्त किया है। उक्त स्कूटर को घटना कारित करने में प्रयोग में लिया हो या उस स्कूटर की अपराध कारित करने में कोई तारतम्यता हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकरण में प्रदर्श पी-35 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है, जिसमें प्रदर्श 1, 2 (From A), 5, 6 (From E), 7 (From F) में ए-ग्रुप का मानव रक्त पाया गया है। उक्त मानव रक्त मृतक का हो, यह तथ्य प्रदर्श पी-35 से स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से की गयी बरामदगी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, चिकित्सकीय साक्ष्य, परीक्षित साक्षीगण और प्रदर्शित दस्तावेजात से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने अन्य किसी सहअभियुक्त के साथ मिलकर मृतक की हत्या कारित करने के किसी हैतुक (Motive) के आधार पर मृतक की हत्या कारित की हो।

उपर्युक्त सिद्धांतों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते समय उपर्युक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व होता है कि वह अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करे। जब भी अभियोजन के प्रकरण में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य होता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः हमारे मत में अभियुक्त की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांक 31.03.2003 अपास्त किया जाता है एवं



[2026:RJ-JP:4433-DB]

(23 of 23)

[CRLA-736/2003]

अपलार्थी/अभियुक्त कृष्ण मुरारी पुत्र मदन लाल को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता अर्थात् सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त जमानत पर है, उसकी ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष 25,000/— (पच्चीस हजार रुपये) की व्यक्तिगत जमानत तथा समान राशि का एक प्रतिभू, जो छह माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा, इस शर्त के साथ प्रस्तुत करे कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है अथवा अनुमति प्रदान की जाती है, तो अपीलार्थी को उसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएगा।

विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ लौटाया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J

MANISH SAINI /Res.